

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

प्रहलाद बनाम खिलारी वगै०

किस्म मुकदमा-प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे०

मु०नं०-

112 / 2024

पीठासीन अधिकारी- डॉ० नवनीत कुमार (आर०ए०एस०).

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.10.2025	<p>पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे० हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया है कि विवादित भूमि पक्षकारान की सहखातेदारी की भूमि है जिसका विधिवत तकास्मे हेतु न्यायालय हाजा के समक्ष वादपत्र तकास्मा बाबत पेश किया है। अप्रार्थीगण विवादित भूमि का दीगर व्यक्ति को बेचान कर सहखातेदारी भूमि के बीच से होकर अन्य दीगर व्यक्ति को रास्ता देना चाहते है जबकि विवादित भूमि सहखातेदारी भूमि है जिस पर वादीगण का भी समान हक अधिकार है। प्रतिवादी अपनी भूमि का नियमानुसार तकास्मा कर करवाए एवं जिसको चाहे बेचान करें लेकिन अब वर्तमान स्थिति में प्रतिवादीगण मौका स्थिति के विपरीत जाकर अन्य दीगर व्यक्ति को बेचान एवं रास्ता देना चाहते है जिससे वादीगण के हित प्रभावित होता है इसलिए जब तक विवादित भूमि का तकास्मा नहीं हो जाता है तब तक प्रार्थना पत्र में जारी अस्थाई निषे० को मूल वादपत्र के निर्णय तक कन्फर्म किया जावे। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि विवादित भूमि में प्रतिवादी भी सहखातेदार है जिसमें उनका समान हक अधिकार है तथा अपने हिस्से की खातेदारी भूमि का अपनी सुविधानुसार उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है तथा न्यायालय द्वारा अस्थाई निषे० से प्रतिवादीगण के हक अधिकार प्रभावित होते है इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे० खारिज किया जावे।</p> <p>उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया, प्रतिवादी/अप्रार्थीगण के जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे० का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हिस्से में से 12 फीट चौड़ी भूमि जो उत्तर की ओर स्थित खसरा नम्बर 391 के खातेदार कैलाश मीना पुत्र गोपीचन्द मीना निवासी कालवान वालों को रास्ते के लिए उपयोग उपभोग के लिए 25-30 वर्ष पूर्व से दे रखी है। अप्रार्थीगण के जवाब से यह स्पष्ट है कि वे उभयपक्षकारान के मध्य उनकी सहखातेदारी भूमि में से अन्य दीगर व्यक्ति को रास्ता देने के संबंध में विवाद है, नियमानुसार विवादित, भूमि में वादीगण भी सहखातेदार है तथा नियमानुसार प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक खातेदार का हक हस्सा है जब तक कि विवादित भूमि का बंटवारा नहीं हो जाता है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा रास्ता देने बाबत कथन जो जवाब में स्वीकार किया है उससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सहखातेदारी भूमि में से एकपक्षीय रूप से अन्य दीगर व्यक्ति को स्थानान्तरण करना चाहते है जो न्यायोचित नहीं है। यदि अप्रार्थीगण अपनी भूमि में से</p>	

रास्ता देना चाहते हैं अथवा बेचान करना चाहते हैं तो नियमानुसार तकास्मा करवाकर अपनी भूमि के संबंध में बेचान इत्यादि हेतु स्वतंत्र है। इसलिए प्रकरण में अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त तथा सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेध दिनांक 29.10.2024 को मूल वादपत्र के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला वीर